दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 56 ❑ अंक-20 ❑ दिल्ली ❑ अगस्त, 2018 (द्वितीय) ❑ मूल्य : 2 रु.

ताकि सनद रहे

दलित संगठन शक्ति के आगे झुकी सरकार संसद में एस. सी./एस. टी. संशोधन बिल पास

– डॉ. सुमनाक्षर

सोमवार, 6 अगस्त को लोकसभा ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक–2018 को मंजूरी दे दी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने सम्बन्धी विधेयक के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी थी। उसने दलित संगठनों के 9 अगस्त के भारत बन्द के मद्देनजर दबाव में लोक सभा के इसी सत्र में इसे पास कराने का वायदा किया था। अब विधेयक के संसद से पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति बहाल हो जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अपने फैसले में इस अधिनियम में संरक्षण के उपाय जोड़े थे। इसके बारे में दलित नेताओं और दलित संगठनों का कहना था कि इस फैसले से एस सी/एसटी कानून को कमजोर और शक्तिहीन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस कानून के तहत उचित जांच के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इस फैसले के बाद दलित हितों की रक्षा को लेकर देशभर में बहस शुरू हो गई थी।

भाजपा के सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए नया कानून लाने की मांग की थी। वहीं भाजपा के कई दलित सांसदों और आदिवासी समुदाय ने पासवान की मांग का समर्थन किया था। लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने उस मामले में फैसला देने वाले दो जजों की पीठ में से एक जस्टिश आदर्श कुमार गोयल को रिटायर्ड होने के बाद सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) का चेयरमेन बनाये जाने पर सवाल उठाया था कि इस तरह सरकार ने जस्टिश गोयल को पुरस्कृत किया है। उन्होंने जटिश गोयल को तुरन्त हटाने और नया एस. सी/एस.टी. अपराध निवारण कानून बनाने की मांग की थी

सुप्रीम कोर्ट के एस सी/एस टी एक्ट के खिलाफ फैसले से रूष्ट दलित संगठनों ने 2 अप्रैल, 2018 को 'भारत बन्द' का आह्वान किया था, जो पूर्ण सफल रहा, पर उसमें 12 दलित युवकों की मौत हो गई थी। अब फिर दलित नेताओं और दलित संगठनों ने सरकार पर नया एस.सी/एस.टी. एक्ट बनवाने की मांग को लेकर 9 अगस्त को 'भारत बन्द' का आह्वान किया था। सरकार 2 अप्रैल को हुए दलित संगठनों के भारत बन्द से कठघरे में थी और अब 9 अगस्त को 'भारत बन्द' की भयावता से घबरा कर जल्दी में यह संशोधन लेकर आई जिसे लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब भाजपा सरकार इस एससी/ एसटी को नये सिरे से लाने में क्षेय, खुद लेना चाहे, पर यह दलित एकता शक्ति का दबाव ही है जो दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का नया कानून ला सकी। इसलिए इसके लिए भीम शक्ति को सलाम।

पर अभी पदोन्नति मे आरक्षण की दरकार बाकी है। इस विषय में केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत का कहना है कि दलित कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर सरकार ने पूर्वविचार याचिका दायर की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय से सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कार्रवाई भी शुरु कर दी है।

यह है मेरा हिन्दुस्तान

महिला विधायक के पूजा करने के बाद मंदिर को धुलवाया गया

उ.प्र. के हमीरपुर जिले के मुस्करा खुर्द गांव में धूम्र ऋषि आश्रम में भाजपा, महिला विधायक मनीषा अनुरागी के पूजा अर्चना करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के अनुसार आश्रम को अपवित्र मानते हुए ग्रामीणों ने पहले उसे गंगा जल से धोया और बाद में धूम्र ऋषि की मूर्ति को संगम में स्नान कराया।

यह घटना 12 जुलाई की है जब मनीषा अनुरागी गांव के एक विद्यालय में बच्चों के ड्रेस वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने के बाद वर्षों पुराने धूम्र ऋषि आश्रम में पूजा–अर्चना की। गांव के ग्राम प्रधान ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि सदियों से धूम्र ऋषि के आश्रम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहा है, लेकिन भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी ने ग्रामीणों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सम्पादकीय

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नागरिकों के डी.एन.ए. के साथ जाति विवरण भी शामिल हो

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन. आर.सी.) का असम सरकार ने ज्योंहि मसविदा 30 जुलाई, 2018 को जारी किया, पूरे देश में इस पर बवेला मच गया। इस राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कुल आबादी के तीन करोड़ उनतीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ चौरासी लोगों ने आवेदन किया था। इसमे से जांच के बाद दो करोड़ नवासीलाख तिरासी हजार छह सौ सतहत्तर नागरिक के रूप मे स्वीकार किये गये है। बाकी चालीस लाख सात हजार सात सौ सात को गैर–नागरिक घोषित किया है। इससे अबसे पूर्व आधार कार्डधारी नागरिक अब एक झटके में ही गैर–नागरिक और 'घुसपैठिये' बन गये। अब वे बगंलादेशी के साथ–साथ 'टेररिस्ट' (आतंकवादी) भी बने गये। इसकी आवाज संसद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर गूंजने लगी।

इस राष्ट्रीय नागरिक यंजिका (एन. आर.सी.) के अन्तिम मसौदे में 40 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं किये जाने पर अपनी चिन्ता जताते हुए प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये भारतीय नागरिक अपनी जमीन पर शरणार्थी हो गये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार 'वोट बैंक' की राजनीति कर रही है। वे असम के लोग है और वहां वे अपने घरों मे सालों से रह रहे हैं। वे भारतीय हैं। अपना घर छोड़ अब वे कहां जायेंगे? हम पूरी तरह उनके साथ हैं। ममता बनर्जी की इस हमदर्दी के साथ कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ खड़े हो गये। इससे केन्द्रीय भाजपा सरकार कठघरे में आ गई और अपने बचाव में लग गई। विरोधी दलों के असम के 40 लाख लोगों को गैर–नागरिक करार दिये जाने को अमानवीय और मानव अधिकार के खिलाफ कदम पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि जिन लोगों के नाम नागरिक रजिस्टर में नाम नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें भारतीय नागरिक साबित करने का मौका मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसविदे को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस मसविदे के आधार पर किसी के भी खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अभी सिर्फ एक मसविदा है। उसने केन्द्र को निर्देश दिया कि इस मसविदे के सन्दर्भ में दावों और आपत्तियों के निरस्तारण के लिए मानक संचालक प्रक्रिया तैयार की जाए। न्यायालय ने कहा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उन सभी को समुचित अवसर मिलना चाहिए जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं।

इस पर केन्द्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह उन 40 लाख लोगों के बायोमीट्रिक्स का ब्योरा लेने पर विचार कर रहा है जिनके नाम असम के अंतिम मसविदे में शामिल नहीं हैं ताकि गलत पहचान के आधार पर अन्य राज्यों में उनके प्रवेश को रोका जा सके।

लोकतान्त्रिक जनता दल के नेता शरद यादव ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर. सी) घोषित करने से पहले सरकार को इस मामले में सभी दलों के साथ विचार विमर्श कर कोई सर्वसम्मत रास्ता निकालना था। मैं मानता हूं कि यह असम का मामला है, लेकिन इसका लोकतंत्र पर असर हुआ है। उसका न्याय संगत तरीके से हल निकलना चाहिए। लेकिन पता नहीं है कि इस सरकार के रहते इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई लोग यहां आये और कई गये। यहां तिब्बत से लोग आये। जब देश बंटा तो कितने बंगलादेशी यहां आये और

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दलित समाज के उभरते सितारे

प्रो. (श्रीमती) कमलेश कुमारी रवि

15 जनवरी, 1958 को बिजनौर (उ.प्र.) में एक दलित परिवार में जन्मी कमलेश कुमारी रवि अपने अथक प्रयास, निष्ठा, लगन और साहस के बल पर बी.ए., एम.ए., बी. एड् की शिक्षा रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी से पूरी कर, अवध प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा (म.प्र.) से पी.एच. डी. करके 1994 में डा. कमलेश कुमारी रवि बनकर उन्होंने न केवल अपने माता–पिता का नाम ऊंचा किया, बल्कि सम्पूर्ण दलित समाज का नाम रोशन किया। उनके नये जीवन की शुरुआत हुई 1984 से केन्द्रिय विद्यालय संगठन (के.वी. एस.) नई दिल्ली में टी.जी.टी. अध्यापक के रूप में, जहां वे 15 वर्ष तक कार्यरत रहीं। उसके बाद 1998 में आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीच्युट, दयालबाग विश्वविद्यालय में इन्होंने हिन्दी लेक्चरार के रूप में कार्यरत होकर अपनी मेहनत, निष्ठा, उत्कृष्टता के बल पर यहीं पर रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अब प्रोफेसर (हिन्दी) के पद पर विराजमान होकर दलित समाज के नाम को सुशोभित कर रही हैं।

प्रो. कमलेश कुमारी रवि के निर्देशन में अब तक 5 शोध छात्र एम.फिल और 8 शोध छात्र पी.एच.डी. कर चुके हैं। 37 शोध छात्रों का उनके विभिन्न विषयों पर यह 'गाइड' रह चुकी हैं। इससे उनकी विलक्षण प्रतिभा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उनके अपने 35 शोध पत्र देश– विदेश की पत्र–पत्रिकाओं में अब तक छप चुके हैं जिन्हें काफी सराहा गया है। उनकी दो पुस्तकें क्रान्तिकारी शिरोमणि संत रविदास और रीतिकालीन काव्य परम्परा और आचार्य ब्रिजेश प्रकाशित हुई हैं जिन्हें काफी लोकप्रियता मिली है।

प्रो. कमलेश कुमारी रवि अपने 39 साल के शिक्षण काल में शिक्षा के उच्च स्तर पर तो पहुंची ही हैं, पर अपने शोध व लेखन कार्य के लिए भी उन्हें काफी प्रतिष्ठा मिली है। इसके अलावा वह प्रवक्ता के रूप में भी अपनी धाक जमा चुकी हैं। दलित साहित्य की प्रबल समर्थक होकर वह बाबा साहब डा. अम्बेडकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास के दर्शन और विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। उनके इन प्रयत्नों से दलित समाज में जनचेतना में अभिवृद्धि हुई है।

अपनी प्रतिभा, वाकपटुता, समाजोत्थान कार्यों के लिए प्रो. कमलेश कुमारी रवि को विभिन्न देश–

(शेष पृष्ठ 3 पर)

तथागत और बोधिसत्व

• दीपक हनुमंत जेवणे

बाबा साहब को बचपन से ही भगवान बुद्ध एवं उनके द्वारा संस्थापित बौद्ध धर्म का आकर्षण था। जब वे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, तब उनके हितेषी अध्यापक कृष्णाजी अर्जुन केलसुकर ने गौतम बुद्ध की स्वयंलिखित जीवनी बाबा साहब को भेंट की थी। इस ग्रंथ से उनके मन पर अमिट संस्कार बन गये।

आज हम बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता के नाते जानते हैं। उनके कंधों पर ऐसा दायित्व डाल कर नियति ने भी इस देश के साथ समाज के साथ न्याय किया है। पुराने समय में भी धर्मशास्त्री ही समाज धारणा के शास्त्र बनाते थे और उन पर अमल किया जाता था। इसीलिए धर्म, नीति, न्याय और कानून इन संज्ञाओं से समान अर्थ ही झलकता है। संविधान द्वारा इस देश में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व इन तत्वों की प्रस्थापना हुई हैं। डॉ. अम्बेडकर ने यह तत्व भगवान बुद्ध के उपदेशों से लेने की बात कही है। व्यक्ति को अपना उद्धार और प्रगति स्वयं प्रयास से ही करनी होती है। तथागत गौतम बुद्ध स्वयं को मनुष्य ही मानते थे और ऐसा उपदेश करते थे कि मैंने जिस तरह अपने प्रयत्नों से उन्नति की है, उसी तरह सभी लोग उन्नति कर सकते हैं।

'नीति' का संबंध व्यक्ति और समाज की मानसिकता से होता है और समाज परिवर्तन का कार्य केवल 'धम्म' ही कर सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यह कार्य किस तरह किया, इसका बाबा साहब ने गहन अध्ययन किया था और चिंतन भी किया था। 'गौतम बुद्ध और उनका धम्म' शीर्षक ग्रंथ इसी चिंतन का सार है।

यहां बाबा साहब ने धर्म का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने 'धम्म' शब्द का प्रयोग किया है। सामान्यतः धर्म इस शब्द का अर्थ लोग 'रिलिजन' से करते हैं। बाबा साहब को यह अर्थ स्वीकार नहीं था। जो धर्म ज्ञानी लोग हैं। वे धर्म को कदापि 'रिलिजन' नहीं कहते। ऐसा अर्थ लगाना किस तरह से गलत है, यह बताते हुए बाबा साहब कहते हैं, ''भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते थे वह उस धर्म से मूलतः भिन्न है। रिलिजन व्यक्तिगत होता है और उसे व्यक्ति अपने तक ही सीमित रखे, सार्वजनिक जीवन में उसे अवसर न दें। इसके विपरीत 'धम्म' सामाजिक है और वह मूलतः तत्वतः सामाजिक है।''

'धम्म' अर्थात सदाचरण अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति–व्यक्ति के बीच बर्ताव उचित होना। व्यक्ति अकेला ही हो तो उसे 'धम्म' की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब दो लोग किसी रिश्तों से एकत्रित आते हैं तो उन्हे पसंद आए या ना आए, लेकिन 'धम्म' अनिवार्य होता ही है। समाज 'धम्म' के बिना नहीं हो सकता है। इस तरह से साफ–साफ शब्दों में बाबा साहब ने समाज का नियमन करने क लिए 'धम्म' की आवश्यकता किस तरह से है, यह बताया है।

न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था कायम करने के लिए अच्छे कर्म, सदाचार, प्रजा, शील, करुणा का स्वीकार करना आवश्यक होता है। तथागत गौतम बुद्ध की यह विशेषता है कि उन्होंने अपनी 80 वर्ष की आयु में यह कर दिखलाया और केवल वे ही वैसा जीवन नहीं जिए बल्कि उन्होंने लाखों अनुयायियों को वैसा जीवन जीना सिखलाया।

बोधिसत्व बाबा साहब ने तथागत बुद्ध की शरण ली? इससे एक यह भी अर्थ निकलता है कि उन्होंने हमेशा से बुद्ध को अपना 'मार्गदाता' माना था। बुद्ध का भी यह कथन रहा है कि वे मार्गदाता हैं, मुक्तिदाता नहीं। जब व्यक्ति के मन में उभरते सवालों के उत्तर उसे किसी चिंतन में मिलते हैं, तो उसे अपना मार्ग मिल जाता है। शायद बाबा साहब ने अपने जीवन में यही पाया और वे बुद्ध के तत्वज्ञान की ओर आकृष्ट हो गए।

तथागत बुद्ध ने मनुष्य को ही 'धम्म' का केंद्र बिंदु बनाया है। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर कहते हैं, ''भगवान गौतम बुद्ध का धम्म एक खोज है। यह कहने का कारण यह है कि पृथ्वी के मानवी जीवन के गहन अध्ययन से उसका उद्‌भव हुआ है। जिस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जन्म लेता है उसकी क्रिया–प्रक्रियाओं एवं इतिहास व परंपराओं के कारण उसे प्राप्त वांछित–अवांछित मोड के अनुसंधान का परिणाम बुद्ध धम्म है।

आगे बाबा साहब ने इस खोज का विवरण भी बताया है। भगवान बुद्ध की खोज को 'प्रत्युत–समुत्पाद' सिद्धांत कहा जाता है। वह बारह कारणों की एक श्रृंखला है। यह सिद्धांत बताता है कि विश्व कार्य कारण के अनुसार चलता है और ईश्वरीय इच्छा अथवा आज्ञा से नहीं चलता है।

बाबा साहब कहते हैं कि इस दुनिया में एक तरह की सुव्यवस्था है और तथागत का कथन है यह नैसर्गिक व्यवस्था ईश्वर नहीं संभालता, अपितु वह कर्म नियमों के अनुसार चलती है। सृष्टि की नैतिक व्यवस्था अच्छी हो या बुरी, भगवान बुद्ध के विचार में वह व्यक्ति को सौंपी गई है। अन्य किसी को नहीं। कर्म का अर्थ व्यक्ति जो कार्य करता है वह और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक लोगों की जो परिषद हुई थी, उसमें उन्होंने ऐसी घोषणा की थी, ''दुर्भाग्य से मैं अस्पृश्य जाति में जन्मा हूं, यह कोई मेरा अपराध नहीं है, फिर भी मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा।''

इस घोषणा के बारे में उनके चरित्रकार धनंजय कीर लिखते हैं, ''अम्बेडकर की इस घोषणा को दुनिया भर में जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी किसी घोषणा को नहीं मिली थी।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने घोषणा तो कर दी थी मगर वे किस धर्म में जाने वाले हैं, यह नहीं बताया था। इस घोषणा से कांग्रेस एवं सनातनी हिंदुओं में प्रचंड दबाव बन गया था। बाबा साहब को समाज में जिस परिवर्तन की अपेक्षा थी, उसके आने का उन्होंने संयम पूर्वक इंतजार भी किया था। इस अपेक्षा और प्रतीक्षा की पूर्ति के लिए जब सफल कदम बढ़ते नजर नहीं आए तब उन्होंने अपना ही कदम तथागत बुद्ध की शरण में जाने के लिए बढ़ाया। जिस समस्या को बाबा साहेब ने जाना था, पहचान था और पूरे हिन्दू समाज को अवगत करने का भरसक प्रयास किया, उस समस्या को हल किए बिना इस दुनिया से विदा लेना उनको मंजूर न था। अपने अनुयायियां को वे किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते थे। जिस

पृष्ठ 1 शेष...यह है मेरा हिन्दुस्तान

के मना करने के बाद भी आश्रम में अंदर घुस कर पूजा की।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की पंचायत के बाद पहले पूरे आश्रम की गंगा जल से धुलाई करवाई गई। बाद में गांव वालों के चंदे से धूम्र ऋषि की मूर्ति को फूलों की डोली में इलाहाबाद ले जाकर संगम स्नान भी कराया गया। इस संबंध में मनीषा अनुरागी ने कहा कि महिलाओं का वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन अगर मैं वहां गई हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अल्प बुद्धि के कुछ नागरिकों की ऐसी सोच है।

अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल के अनुसार यह मामला मीडिया के जरिए उनके संज्ञान में आया है।

असलियत की जानकारी के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई के कुछ अधिकारियों को गांव भेजकर जानकारी जुटाई जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

शोषण के ठिकाने बालिका-गृह

हाल ही में जब बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका–गृह से बच्चियों के यौन शोषण और यातना की खबरें आईं, तो उस पर समूचे देश में क्षोभ पैदा हुआ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ठीक उसी तरह की घटना सामने आई है, जिसमें चौबीस बच्चियों का बलात्कार किया गया, उनसे देह–व्यापार कराया गया और यातनाएं दी गईं। यह सब काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी तरह बालिका–गृह से एक बच्ची भाग निकली और उसने पुलिस को आपबीती सुनाई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से चौबीस बच्चियों को मुक्त कराया, लेकिन अठारह बच्चियां गायब पाई गईं। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सरकार ने मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के तहत संचालित बाल गृह, बालिका गृह, शिशु और सुधार गृह की मान्यता पर रोक लगा दी है, उसके संचालकों को गिरफ्तार करने के अलावा जिलाधिकारी को भी हटा दिया है। आमतौर पर संबंधित महकमों के अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी गली–मोहल्ले में और यहां तक कि घरों के भीतर भी मामूली गतिविधियों तक के बारे में जानकारी हो जाती है और जरूरी होने पर वे कार्रवाई करते हैं। लेकिन आखिर किन वजहों से किसी आश्रम स्थल में बच्चियों को देह–व्यापार और बलात्कार की आग में झोंक दिया गया और उसके बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई!

यह समझना मुश्किल है कि मदद के नाम पर लाचार बच्चियों को आश्रय स्थल में शरण देने वाले लोग कैसे समूची मानवीयता और संवेदना को ताक पर रख कर इस तरह के शोषण और अपराध को अंजाम देते हैं। किसी का जीवन बचाने के नाम पर उसके साथ खिलवाड़ और अपराध की ऐसी घटनाओं के सामने आने पर इन संगठनों और आश्रय स्थलों को कैसे देखा जाएगा? यह भी हकीकत है कि समाज कल्याण और गैर–सरकारी संगठन के नाम पर सरकार इस तरह के संगठनों को आर्थिक मदद तो मुहैया कराती है, लेकिन उनके काम पर नजर रखना जरूरी नहीं समझती है। इन घटनाओं के बाद केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ऐसी और भी बहुत सारी जगहें निकलेंगी, हम सालों से इन आश्रय स्थलों को पैसा देते रहे, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया। सवाल है कि क्या सरकारी महकमों की ओर से ऐसी लापरवाही सालों से इसलिए चलती रही कि मुजफ्फरपुर या देवरिया जैसी जगहों के आश्रय स्थलों में शरण लेने वाली बच्चियां या महिलाएं बेहद लाचार या फिर कमजोर पृष्ठभूमि से आती हैं?

जिन जगहों को बेसहारा बच्चियों या महिलाओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर जाना जाता है, अगर वहीं उन्हें अपने खिलाफ अपराध, त्रासद, शोषण और यातना से गुजरना पड़े, तो और किन ठिकानों पर भरोसा किया जा सकेगा? इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभाविक ही कहा कि देश भर में सब जगह बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना के संदर्भ में अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 2004 से तमाम आश्रय स्थलों को पैसा दे रही है, लेकिन कभी वहां निरीक्षण करने की भी जरूरत नहीं समझी, ऐसा लगता है कि ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित हैं। अदालत की यह टिप्पणी सख्त है, लेकिन स्वाभाविक है, क्योंकि आश्रय स्थलों में यौन हिंसा अंतिम तौर पर व्यवस्था में लापरवाही का ही नतीजा है और अगर सरकारी महकमे और तंत्र निगरानी या निरीक्षण के मामले में ईमानदारी बरतें तो ऐसे आपराधिक गठजोड़ों को पूरी तरह रोका जा सकता है। लाचार बच्चियों या महिलाओं को गैरसरकारी संगठनों के भरोसे न छोड़कर इस मामले में सरकार को खुद एक व्यवस्थित तंत्र बनाना चाहिए, जहां व्यवस्था, पारदर्शिता और निगरानी के मामले में कोई भी समझौता नहीं हो। • (साभार–जनसत्ता)

व्यवस्था बुरी होगी तो उसका कारण मनुष्य अकुशल कर्म कर रहा है। नैतिक व्यवस्था अच्छी हो तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य कुशल कर्म कर रहा है।

अर्थात् बाबा साहब यह स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि समाज के अच्छे रहने के लिए समाज में नैतिक व्यवस्था होनी आवश्यक है। यह नैतिक व्यवस्था अच्छे या बुरे कर्मों से निर्मित होती है। कर्म का फल उस व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है ऐसा नहीं है, अपितु कभी–कभी पूरे समाज को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

बाबा साहब का हिंदू समाज में समानता का अधिकार पाने का संघर्ष निरंतर चला। इसलिए उन्होंने अलग–अलग तरीके अपनाये और आंदोलन भी चलाये। महाड़ का सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, पर्वति सत्याग्रह, अंबामाता मंदिर सत्याग्रह एवं राजनैतिक क्षेत्र का पुणे करार–इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में येवला में अस्पृश्य गुटों के सभी यथार्थ को उन्होंने आरंभ किया था उसका गंतव्य स्थान उन्हें तय करना था। उन्हें यह गंतव्य तथागत भगवान बुद्ध के 'धम्म' में नजर आया। अर्थात इस गंतव्य को उन्होंने पहले भी परोक्ष रूप से बताया था। येवला के भाषण के अंत में उन्होंने भगवान बुद्ध का निर्वाण से पूर्व अपने भिक्षु संघ को किया उपदेश और जिसका महापरिनिर्वाण साथ में उल्लेख किया गया है उसका स्मरण होता है। निर्वाण के पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि आप दीप की तरह स्वयं प्रकाशित बनें, पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित न हों। स्वयं पर विश्वास रखें, अन्य किसी के दास न बनें। सत्य पर चलें और किसी अन्य की शरण में न जाए।

अस्पृश्य लोगों को बौद्ध धम्म के मार्ग पर ले जाने का बाबा साहब का निर्णय पक्का होता गया और अंत में 14 अक्टूबर को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। •

सम्पादकीय का शेष....राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नागरिकों के डी.एन.ए. के साथ जाति विवरण भी शामिल हो

कितने लोग यहां से बंगलादेश गये, पाकिस्तान बना तो कितने लोग यहां से गये जो वहां 'मुहाजिा' कहलाये और कितने ही लोग वहां से यहां आये। ये आबादियां इधर से उधर सबसे ज्यादा इस देश में ही हुई हैं। अफसोस है कि संसद में इस पर बहस ठीक ढंग से नहीं चल रही है। कौन तारीख को कौन यहां आया है, यह हम ढूढेंगे तो देश बर्बाद हो जायेगा।

प. बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भाजपा की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि असम में राष्ट्रीय नगरिक पंजिका (एन.आर.सी.) की कवायद राजनैतिक उद्देश्यों से की गई है ताकि लोगों को बांटा जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे देश में रक्तपात होगा और गृह युद्ध छिड़ जायेगा। उन्होंनो दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राष्ट्रीय नागरिक विधेयक को संशोधित करने या इस सम्बन्ध में नया विधेयक लाने की मांग की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी.) के सम्नूर्ण मसौदे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बंगला भाषा में एक कविता लिखी। इस कविता मे उन्होंने कहा कि जो लोग भगवा यह मसला छाया रहा और जमकर हंगामा हुआ। संसद के अन्दर और बाहर विपक्षी दलों ने खासा विरोध किया, विपक्ष ने सरकार से इस मसले में सतर्कता बरतने और राजनीति नहीं करने के लिए कहा।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी.) के अन्तिम मसविदे से असम के 40 लाख लोगों के नाम कटने पर देश के शीर्ष जनगणना अधिकारी ने भरोसा दिया है कि पंजिका में कोई असली भारतीय नागरिक नहीं छुटेगा। तकनीकि पक्ष के कारण 40 लाख लोगों के नाम बाहर है। ये जो छूट गये हे, उनकी चिंताओं से अधिकारी अवगत है, वास्तविक नागरिकों को जरूरी दस्तावेज मिलें, यह हम सुनिश्चित करेंगे।

भारत के महापंजीयक व जनगण्ना अधिकारी आयुक्त शैलेश ने माना कि देश में राष्ट्रपति रहे फखरूद्दीन अली अहमद के परिवार समेत हजारों हिन्दी भाषियों और सैनिकों के परिवार जनों के नाम कटने की खबरे उन्हें मिली हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पर हम सुनिश्चित करना चाहते है कि कोई भी भारतीय नागरिक तकनीकी पक्षों की वजह से छूट न जाये।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत दिया। यह तो सिर्फ एक 'पारखी' के तौर पर उसने शुरुआत की। इसके बाद उसकी यह योजना देश के सभी प्रदेशों पर लागू करने की थी। पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को भी यह आशंका या अनुमान नहीं था कि उनके इस कदम पर पूरे देश में बवेला मच जायेगा और उसकी कुत्सित मंशा का पर्दाफांश हो जायेगा। उसके सिर मुंड़ाते ही ओले पड़ गये।

अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर वह बचाव की मुद्रा में आकर तरह तरह से बयान दे रही हे। अब उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? वह बारी बारी से देश से मुस्लमान, ईसाई व अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दलित व शोषितों को उजाड़ने, उखाड़ने और दर–बदर करने में जुटी है। शायद उसे पता नहीं है कि उसकी राष्ट्र की मुख्य धारा में सिर्फ 15 फीसदी उच्चवर्णीय सवर्ण हैं, बाकी देश की 85 फीसदी आबादी दलित, शोषित, पिछड़े अल्पसंख्यक की है जो देश के मूल निवासी व आदिवासी हैं, जिन्हें इन नामों से पुकारते हुए उनकी सांस रूक जाती है।

देश के दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह जाति गणना कराये कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है और देश की सत्ता, सम्पदा, शासन–प्रशासन में उनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी है। इससे हर जाति की देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का पता चल सकेगा। साथ ही देश की सत्ता व सम्पदा पर कौन लोग कुंडली मारे बैठे हैं, और बहुमत में होते हुए भी वे कौन लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था–जातिवाद का दंश झेलते हुए भी जिन्हें सबसे नीचे के पायदान पर धकेला जा रहा है। देश की धन–दौलत–जमीन–जायदाद पर कौन लोग, कैसे सदियों से कब्जा जमाये हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल जाति जनगणना और उनकी सत्ता–सम्पदा, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के आंकलन से हो जायेगी।

अब जब असम से राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन की बात चली ही है तो देश में प्रत्येक जाति के लोगों का 'डी.एन.ए. टेस्ट' भी हो जाना चाहिए। इस 'डी.एन.ए. टेस्ट' से पता चल जायेगा कि कौन देशी है और कौन विदेशी है? कौन मूल निवासी है और कौन आदिवासी है? साथ ही देश में रह रहे विधर्मी–मुस्लमान, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन के 'डी.एन.ए. टेस्ट' से भी यह साबित हो जायेगा कि उनका मूलरक्त वासी कौन है और उनका धर्मान्तरण कब और कैसे किया गया? इस देश के मूल निवासी होते हुए वे विधर्मी व विदेशी नस्ल के होने के धब्बे को कब तक ढोते रहेंगे।

इस लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजिका में देश के नागरिकों को शामिल करने से पूर्व उनकी 'जाति–जनगणना के साथ उनके 'डी.एन.ए.' का टेस्ट भी शामिल किया जाये ताकि प्रत्येक नागरिक के विषय में सही जानकारी मिल जाए कि वह देश का मूल निवासी है या विदेशी रक्त बीज है।

–डॉ. सुमनाक्षर

(पृष्ठ 1 का शेष)

विदेश की संस्थाओं ने सम्मानित किया है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने उन्हें 2005 में डा. अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड, 2013 में डा. अम्बेडकर साहित्यश्री अवार्ड और 2016 में वीरांगना सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित करके उनके गौरवमयी व्यक्तित्व को सुशोभित किया है। पूरे दलित समाज को ऐसी बेटी पर नाज है।

प्रो. (श्रीमती) कमलेश कुमार रवि का पता है–

17 / एस–II, दूसरी मंजिल, मेहता एनक्लेव, अदनबाग एक्सटेंशन, दयालबाग, आगरा (उ.प्र.) 382005

मोबाईल नं. 9457151405

टेलीफोन नं. 0562-4303535

पार्टी का विरोध कर रहे है, उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है। इससे वे जानना चाहते है–आप कौन हो, आपका 'उपनाम' क्या है, आपकी 'पहचान' क्या है, आप क्या खाते हो, कहां रहते हो? इस कविता में भाजपा का आलोचनात्मक जिक्र करते हुए लिखा गया है–'क्या आप मन की बात सुनते हैं, ''क्या आप सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, तब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप आतंकवादी हैं,'' इसमें आगे कहा गया है–'जो सत्तारूढ़ दल की ताकत को नहीं जानता है और इसके खिलाफत बगावत करता है, तो 'देशद्रोही' है और उनके लिए देश में कोई स्थान नहीं है।'

ममता बनर्जी ने भजपा विरोधी रूख को लेकर मुखर होकर कहा है–''वो आपसे पूछेंगे– आपका वस्त्र क्या है, आप किसका समर्थन करते हैं और क्या ''आपका'' गोवर्धन एकाउंट है, अगर आपका जवाब नकारात्मक है तो आप 'घुसपैठिये' है। इन कविता के माध्यम से ममता बनर्जी के भाजपा सरकार के प्रति उन शंकाओं का पर्दाफांश किया है जो दलितों, मुस्लिमों, ईसाइयो और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अमानवीय बदसलूक, साम्प्रदायिक भेदभाव, ऊंच, नीच जातिवाद के रूप में सामने आ रहा है।

असम के राष्ट्रीय नागरिक यंजिका (एन.आर.सी) के मसले पर संसद में ने कहा है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से 40 लाख लोगों के नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची से भी ये नाम हट जायेंगे। उनके नाम मतदाता सूची में कायम रहेंगे।

पिछली 30 जुलाई, 2018 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) के मसविदे से असम के 40 लाख लोगों के नाम हटाने की घोषणा हुई थी तभी से आज तक देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य जनगणना अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है, वहीं देश का आम नागरिक भी सकते में है कि कहीं गाज उसके सिर पर अचानक ना गिर जाये। भारत–पाक बंटवारे के बाद त्रासदी भुगतकर इधर–उधर से आकर शरणार्थी बने लोग, और बंगलादेश बनने से पहले और बाद में आये बंगला भाषी लोग असमजंस की जिन्दगी जी रहे हैं। जातिवाद और साम्प्रदायिक भेदभाव ने दलित, शोषित व अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। वोट बैंक की खातिर सत्तारूढ़ दल भाजपा की सरकार हिन्दू व मुस्लमानों का ध्रूवीकरण करने में जुटी है तो वही दलितों व अल्पसख्यकों को भयभीत करके 'हिन्दुत्व' के दायरे में जमाये रखना चाहती है। इसीलिए असम से ही उसने 'राष्ट्रीय नागरिक पंजिका' का काम शुरु किया, जिसमें चिन्हित करके 40 लाख लोगों को उनके मूल निवास से अलग कर

आजादी के बाद भारत सरकार की नीतियां और नियत

• हरी नारायण बौद्ध

भारत शूद्रों का देश था। अशोका के राज्य में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बुद्ध धम्म और अशोका नीति पूरे विश्व में फैली थी। बुद्ध धम्म को 'विश्व गुरु धम्म' कहा जाता था। बुद्ध ने ज्ञान, विज्ञान, करुणा, मैत्री, शांति का सन्देश पूरे विश्व को दिये थे। रिफ्यूजी आर्य भारत में 4500 ई पू. आये और अशोका राज्य बुद्ध धम्म का पतन करने लगे। चोरी, डकैती, लूट पाट, महिलाओं का शोषण जैसे नीच से नीच कर्म में लग गये। वे अपने को महान बनने के लिये किसी भी नीच से नीच स्तर तक जाने में अपनी शान समझते थे।

रिफ्यूजी आर्यों ने कल बल छल से जातपात, ऊंच नीच का षड्यंत्र पाखंड का जाल बनाया और काल्पनिक देवी देवता भगवानों को पैदा किये। अपने धंधे, व्यापार, रोजगार के लिये और मूलनिवासियों को हजारों जातियों में बांट दिया। छोटा बड़ा करके मूलनिवासी लोग पढ़े–लिखे नहीं थे। अनपढ़ होने के कारण इनके पाखंड में बुरी तरह फंस गये। रिफ्यूजी आर्य भारत में पाखंड, चोरी, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, जात पात, हिन्दू धर्म पाखंड नहीं किये होते तो 1949 में आजादी के बाद भारत विश्व का प्रथम देश होता और विश्व में भारत विकसित देश होता, पर रिफ्यूजी आर्यों ब्राह्मणों के कारण विश्व गुरु भारत आज ब्राह्मणवाद आतंक से भारी संकट से जूझ रहा है, जिसका जिम्मेदार रिफ्यूजी आर्य ब्राह्मणवाद है। भारत में रिफ्यूजी आर्य मनुस्मृति के अनुसार देश में काम करते हैं जिसके कारण देश को सबसे ज्यादा खतरा रिफ्यूजी आर्य ब्राह्मणों और आरएसएस से है। मूलनिवासियों को सोचना है कि ब्राह्मणवाद के पाखंड का गुलाम रहेंगे या आजाद भारत मे स्वाभिमान सम्मान से आजाद रहेंगे।

भीमा कोरेगांव महारक्रांति और चोरी चौरा कांड और चमार रेजिमेंट की वीरता से पूरे विश्व में बहादुरी का डंका बज गया था और चोरी चौरा कांड एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद अंग्रेज शूद्रों को आजादी देना चाहते थे क्योंकि भारत शूद्रों का देश था। यह बात साइमन कमीशन में भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है। गांधीजी, नेहरू, मदनमोहन मालवीय, सांवरकर, राजेंद्र प्रसाद आदि गुट के लोग नहीं चाहते थे कि भारत में शूद्र आजाद हो शूद्र ब्राह्मणवाद का गुलाम रहे इसलिए गांधी गुट के लोग चालाकी से शूद्रों को धोखा देकर ब्राह्मणवाद को बचाये रहने के कारण 99 वर्ष की लीज पर अंग्रेजों द्वारा अपने को आजादी का एग्रीमेंट कराये जिसके बदले में 30 हजार टन गाय का मांस और 10 अरब धन प्रति वर्ष का करार है। भारत के शूद्रों के साथ छल किया गया कि भारत में रिफ्यूजी आर्य ब्राह्मणों की सत्ता बनी रहे। शूद्र लोग पहले गुलाम थे और लीज के बाद भी ब्राह्मणवाद के गुलाम रहे। रिफ्यूजी आर्यों का षड्यंत्र को आजतक OBC, SC, ST को समझ में नहीं आया की ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म के गुलाम क्यों बने हुए हैं और 13.2 प्रतिशत रिफ्यूजी आर्य सत्ता में क्यों बैठे हुये हैं? OBC, SC, ST को इस विषय पर सोचना समझना होगा किसका है? कौन खा रहा है।

भारत सरकार की नीतियां पूंजीवाद राजनीति भ्रष्टाचार तक सीमित रह गयी है। जब से देश आजाद हुआ ब्राह्मणवाद पूंजीवाद देश में आतंकवाद फैलाय हुये हैं क्योंकि सभी संस्थाओं में रिफ्यूजी आर्य बैठे हुये हैं। भारत में सभी पार्टियों में पुष्यमित्र शुंग बैठे हैं जनता को मूर्ख बनाते हैं और यूनेस्को के अनुासर देश में काम करते हैं। OBC, SC, ST मुसलमानों को दिखाई नहीं देता कि रिफ्यूजी आर्य ब्राह्मण 3.1 प्रतिशत, क्षत्रिय 4.7 प्रतिशत और वैश्य 5.4 प्रतिशत हैं। कुल इनकी जनसंख्या 13.2 प्रतिशत है और सभी संस्थाओं में 86 प्रतिशत पर बैठे हुये हैं और 86.8 प्रतिशत लोगों को हिन्दू धर्म के नाम पर मुर्ख बनाये हुये। •

हिमायती
4 / अगस्त (द्वितीय), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 अगस्त, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 13 अगस्त, 2018

भारत में ब्राह्मणवाद

हजारों सालों से भारत में ब्राह्मणवादी राज करते आ रहे हैं। इसके पीछे कौन–कौन से मुख्य कारण हैं ये सोचने और समझने का विषय है। जैसा कि बहुत से शोधों से साबित हो चुका है कि आज के ब्राह्मणवादी आर्य लोग यूरेशिया से भारत में आये और उस समय उनके पास वापस जाने का कोई साधन ना होने के कारण आर्य लोग भारत में ही रहने पर मजबूर हो गए। यह बात भी कई शोधों से साबित हो चुकी है कि या तो आर्य लोग भारत पर आक्रमण करने के मनसूबे से भारत में आये थे या उनको यूरेशिया से देश निकाला देकर समुन्द्र में मरने छोड़ दिया गया था और यह भारत के मूलनिवासियों की बदकिस्मती थी कि आर्य लोग दक्षिण भारत में आ पहुंचे।

आज भी आर्यों की भाषा संस्कृत उनके यूरेशियन होने का प्रमाण है। बहुत से वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हो चुका है कि आर्यों की भाषा संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो यूरेशिया की भाषा से मिलते हैं। दूसरा सबसे पुख्ता सबूत 2001 में किया गया डीएनए परीक्षण जिससे साफ–साफ साबित हो जाता है कि ब्राह्मण का 99.99 प्रतिशत, क्षत्रिय (राजपूत) का 99.88 प्रतिशत और वैश्य का 99.86 प्रतिशत डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है। लेकिन भारत में रहने वाली किसी भी नारी/औरत का डीएनए दुनिया के किसी भी देश का नारी से नहीं मिलता। इससे साबित होता है कि भारत की सभी औरतें चाहे वो ब्राह्मणों के घर की औरतें हों या मूलनिवासियों के घर की, सभी भारत की मूलनिवासी हैं। यह डीएनए रिपोर्ट 21 मई, 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में भी छपी थी और भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस रिपोर्ट को मान्यता दी थी। इतने पुख्ता सबूत होने पर भी बहुत से मूलनिवासी इस बात को मानने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि ब्राह्मणवादी आर्य विदेशी हैं।

आर्यों ने भारत में आकर बहुत समय तक यहां के लोगों के रहन–सहन, परम्पराओं और मूलनिवासियों की मानसिकता को समझा। मूलनिवासी निहायत ही भोले–भाले लोग थे। किसी भी बात को आसानी से सच मान लेते थे। ऐसा भी नहीं है कि आर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित करन के कुछ ना किया हो। आर्यों ने सबसे पहले अपने आप को देवता और भगवान का दूत स्थापित किया। उस समय के आर्य देवता को आज ब्राह्मण कहा जाता है। आर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत से मूलनिवासी राजाओं को छल कपट से मारा। आज के हिंदू धर्म शास्त्र आर्यों के मूलनिवासियों पर किये अत्याचारों की कहानियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अवतारवाद हमेशा ब्राह्मणों का अचूक हथियार रहा जिसका आज भी ब्राह्मण किसी ना किसी रूप में प्रचार करते रहते हैं और मूलनिवासियों का शोषण करते हैं। विष्णु के अवतार, शिव के अवतार, काली के अवतार, दुर्गा के अवतार और अन्य देवताओं के अवतारों की कहानियों को ब्राह्मणों का अवतारवाद कहा जाता है।

आर्यों ने भारत के बहुत से हिस्सों पर कब्जा करके मूलनिवासियों पर मनमाने अत्याचार किये। लाखों करोड़ों मूलनिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। मूलनिवासियों के पूरे–पूरे राज्यों को उजाड़ दिया। मूलनिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। राज्य स्थापित करने के बाद आर्यों ने मूलनिवासियों के लिए मनमाने कानून बनाये। जैसे मूलनिवासियों के लिए पढ़ना निषेध कर दिया गया, मूलनिवासियों के घर में पैदा होने वाली लड़की को जवान होने पर आर्यों के लिए पेश करना, सम्पत्ति का अधिकार छीन लिया गया, हर प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी सिर्फ और सिर्फ आर्य ब्राह्मण ही होते थे। एक समय ऐसा भी आया जब मूलनिवासियों के दिन में बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई।

मूलनिवासी सिर्फ रात को या दिन में कड़ी धूप में ही घर से बाहर निकल सकते थे। मूलनिवासी कहीं थूक भी नहीं सकते थे। थूकने के लिए मूलनिवासियों को गले में हांडी लटका के रखनी पड़ती थी, मूलनिवासी हमेशा अपने पीछे झाड़ू बांधे रखते थे ताकि कहीं रास्ते पर मूलनिवासियों के पैरों के निशान ना रह जायें। जब भी कोई आर्य रास्ते पर जा रहा होता था तो मूलनिवासी उस आर्य से इक्कीस कदम दूर अपने जूते सिर पर उठाये खड़ा रहता था। ब्राह्मणवादी आर्यों ने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जब मूलनिवासियों को प्रताड़ित ना किया हो।

मूलनिवासियों की इस हालत को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने समझा और बौद्ध धर्म की स्थापना की। ताकि सभी लोग जाति पाति को छोड़कर समता, समानता, बंधुत्व और न्याय के शासन में शांति और प्रेम से रह सकें। बहुत से लोगों ने महात्मा बुद्ध की बात को समझा और इसीलिए 500 ईसवी से 800 ईसवी तक भारत में बहुत से लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। ब्राह्मणवाद देश के हर कोने से समाप्त होने लगा।

सम्राट अशोक ने इस कार्य में विशेष योगदान दिया और बौद्ध धर्म को देश के कोने कोने में पहुंचाया। यहां तक बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार देश से बाहर बहुत से देशों में किया। ब्राह्मणवादी आर्यों को लोगों को ठगने और मुफ्त में ऐश करने की आदत पड़ चुकी थी। देश का कोई भी मूलनिवासी ब्राह्मण व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं था और ब्राह्मणों को दान देना भी लोगों ने बंद कर दिया था। ब्राह्मणवादी आर्यों के भूखे मरने के दिन आने लगे थे तो आर्यों ने फिर से एक बार मंत्रणा की और अपने आपको फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए।

900 ईसवी में अशोक के पौत्र बृहदत्त के दरबार में पुष्यमित्र शुंग नामक

एक आर्य सेनापति था। ब्राह्मणवादी आर्यों ने पुष्यमित्र शुंग को अपनी ओर मिला लिया। ब्राह्मणवादी आर्यों ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत पुष्यमित्र शुंग के हाथों भरे दरबार में बृहदत्त की हत्या करवा दी। हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को पाटलिपुत्र का राजा घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बहुत से बौद्ध भिक्षुयों को मार दिया गया। बौद्ध धर्म के मंदिरों और स्तूपों को नष्ट कर दिया गया। बहुत से बौद्ध भिक्षु भारत छोड़कर भाग गए। इस षड्यंत्र से फिर से भारत में ब्राह्मणवादी आर्यों का शासन फिर से स्थापित हो गया। यही वो पुष्यमित्र शुंग है जिसको आज के सभी ब्राह्मणवादी आर्य राम भगवान के नाम से याद करते हैं। पुष्यमित्र शुंग को भगवान बनाने का श्रेय वाल्मीकि को जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि हुआ करता था। इस बात के वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं कि वाल्मीकि ने 900 या 1000 ईसवी में रामायण लिखी थी। विज्ञान के अनुसार आज से 2000 या 2500 साल पहले कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जिसको लिखा जाता था या जिसकी लिपि थी। उस समय सांकेतिक लिपि होती थी और कुछ संकेत अंकित करके सन्देश भेजे या मंगवाए जाते थे। विज्ञान के अनुसार एक भाषा 2000 सालों में पैदा होती है और इसी समय में समाप्त भी हो जाती है। एक भाषा की लिपि को बनने में लगभग 1000 साल का समय लगता है।

ब्राह्मणवादी आर्य अपने साथ संस्कृत की लिपि अपने साथ नहीं लाये थे क्योंकि आज भी यूरेशिया की भाषा और भारत में लिखी जाने वाली संस्कृत की लिपि अलग–अलग है, यह बात यहां प्रमाणित होती है। यह बात यहां वाल्मीकि रामायण और दूसरे आर्यों के धर्म ग्रंथों पर भी लागू होती है। अगर मान लिया जाये, आर्य संस्कृत भाषा को साथ लेकर आये थे तो संस्कृत भाषा की लिपि को बनने में 1000 साल लगे होंगे। विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। तो यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी आर्यों के सभी धर्म ग्रंथ 1000 ईसवी के बाद ही लिखे गए होंगे। जहां तक महाभारत की बात है, अगर मेकाले का इतिहास पढ़ा जाये तो एक जगह मेकाले ने लिखा है कि जब अंग्रेज 1857 ईसवी में भारत पहुंचे तो ब्राह्मणों ने एक घर के सभी कमरों को भोज पत्र पर कोई किताब लिख के भर रखा था। जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से पूछा कि यह क्या है? तो ब्राह्मणों ने बताया कि यह महाभारत नामक किताब की रचना की जा रही है। अंग्रेजों ने जब ब्राह्मणों से लिखे हुए साहित्य को सुना तो तत्काल हुकुम दिया कि यह जहालत लिखना बंद करो।

मेकाले के इतिहास से यह बात साबित हो जाती है कि ब्राह्मण आर्यों के धर्म ग्रंथ हजारों साल पहले नहीं महज कुछ सौ साल पहले 1600 से 1800 ईसवी में लिखे गए हैं। अब इन धर्म शास्त्रों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई भी मूलनिवासी समझ सकता है।

इस बात के भी बहुत से प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि पुष्यमित्र शुंग ही आज का राम है। जैसे कि पुष्यमित्र की राजधानी का असली नाम पाटलिपुत्र था जो बृहदत्त की राजधानी थी। उसी पाटलिपुत्र का नाम पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या रखा और आज भी उस स्थान को अयोध्या कहा जाता है। पुराने समय में राजाओं में प्रथा थी कि कोई भी राजा दूसरे राजा को हरा कर अपनी राजधानी को स्थापित करता था। इसके विपरीत पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र को धोखे से और बिना किसी युद्ध के जीता था तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या= अ + योध्या था अर्थात् बिना युद्ध के जीती गई राजधानी।

(साभार–दि बुद्धिस्ट टाईम्स)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A–9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली–33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली–9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक – श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–110009